

सेवा केन्द्र में प्रपत्र निःशुल्क उपलब्ध  
(राजस्व कर्मचारी सरकार समिति द्वारा संचालित)

एफ-64  
जिला परिषद

राजस्थान सरकार  
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत  
पारिवारिक सहायता प्राप्ति का आवेदन पत्र

ग्राम

वार्ड संख्या

ग्राम पंचायत नगर पालिका

तहसील/पंचायत समिति

1. आवेदक का नाम श्री/श्रीमती

2. पूर्ण पता

3.आय

4.वर्ग ( अ.जा./ अ.ज.जा./ भूमिहिन/ पिछड़ी/ विकलांग/ सामान्य)

5.आवेदक के पहचान चिन्ह

6.आवेदक का मृतक से संबंध

(अ)मृतक का नाम

(ब)आयु

(स)व्यवसाय

1. मृतक के पिता का नाम

व पता

2. चयनित बी.पी.एल.सूची 1997 का क्रमांक

3. मृतक की वार्षिक आय

4. मृत्यु किस प्रकार हुई

5. सामान्य मृत्यु या दुर्घटना

(मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें )

6. मृत्यु का स्थान व दिनांक

7. परिवार की कुल वार्षिक आय

8. मृतक के परिवार का विवरण

क्रम सं.	नाम	आयु	व्यवसाय	वार्षिक आय	मृतक से संबंध
1					
2					
3					
4					
5					
6					

मैं सत्य निष्ठापूर्वक धोषण करता हूँ / करती हूँ कि मृतक ही परिवार का मुख्य कमाने वाला / वाली थी एवं उपरोक्त अंकित सभी कथन सत्य है ।

दिनांक

हस्ताक्षर आवेदक

निम्न दस्तावेज संलग्न है:-

1. मृत्यु प्रमाणपत्र की प्रति
2. आय का प्रमाण पत्र
3. मृतक की उम्र का प्रमाण पत्र  
( निर्वाचन नामावली या राशन कार्ड की प्रति )
4. एफ.आई.आर. .पोस्ट मार्टम कीप्रति ( दुर्घटना से मृत्यु की दशा में )

**ग्राम पंचायत / नगर पालिका रिपोर्ट**

यह प्रमाणित किया जाता है कि मृतक स्व. श्री / श्रीमती

पुत्र/पत्नी श्री

इस पंचायत / नगर पालिका क्षेत्र

का था / थी तथा मृतक की उम्र मृत्यु के समय

वर्ष थी । मृत्यु

कारणवश: हुई । मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है ।

पीडित परिवार चयनित बी.पी.एल. परिवार है । मृतक ही परिवार में मुख्य कमाने वाला था / थी ।

अतः आश्रितों को सहायता पहुंचाने हेतु 10000/- रुपये की सहायता उपलब्ध कराने हेतु आवेदक

श्री / श्रीमती

की सिफारिश कीजाती है ।

ग्राम सेंवक / पटवारी  
(ग्रामीण क्षेत्र हेतु )

सरपंच  
(हस्ताक्षर मय सील)

राजस्व अधिकारी  
नगर पालिका

पार्षद  
न.पा.  
(शहरी क्षेत्र हेतु )

दिनांक

( स्वीकृति अधिकारी की टिप्पणी तथा स्वीकृति आदेश )

कार्यालय नगर पालिका / पंचायत समिति

क्रमांक

दिनांक

सरपंच ग्राम पंचायत / पार्षद नगर पालिका ,वार्ड मेम्बर  
एवं आवश्यक जाँच के पश्चात् श्री /श्रीमती  
निवासी

की अनुशंषा  
पिता /पत्नी  
को 10 हजार रूप्ये की

सहायता प्रदत्त करने की स्वीकृति जारी की जाती है ।

उपखंड अधिकारी /सहायक कलेक्टर / तहसीलदार  
(जो उस क्षेत्र के लिये जिला कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत हो)  
नगर पालिका /नगर परिषद  
हस्ताक्षर मय सील

विकास अधिकारी  
पंचायत समिति  
हस्ताक्षर मय सील

( भुगतान का विवरण )

स्वीकृति उपरांत श्री /श्रीमती

पिता /पत्नी

निवासी

को 10 हजार रूप्ये चेक नम्बर

ड्राफ्ट नं.

द्वारा दिनांक

को भिजवाये गये । जिसकी पृविष्ठ केश बुक के

पृष्ठ संख्या पर करदी गई है।

अधिशासी अधिकारी

लेखाकार

विकास अधिकारी

नगर पालिका

प. स. /नगर पा. प. स.

## सेवा केन्द्र

### राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना :

#### पात्रता :

1. गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सन् 1997 की चयनित सूची में सम्मिलित परिवार के मुख्य जिविकोपार्जनकर्ता की मृत्यु होने पर एक मुश्त परिवार लाभ ।
2. मुख्य जिविकोपार्जनकर्ता उस परिवार का सदस्य पुरुष अथवा महिला होगी जिसकी आय का अशंदांन कुल पारिवारिक आय का काफी भाग हो ।
3. ऐसे मुख्य जिविकोपार्जनकर्ता की मृत्यु 18 से 64 वर्ष अर्थात् 18 वर्ष की आयु से अधिक और 65 वर्ष की आयु से नीचे के आयुवर्ग में हुई हो ।
4. शोक संतप्त परिवार वह माना जावेगा जो सन् 1997 की चयनित सूची में सम्मिलित हो ।
5. परिवार लाभ मृतक परिवार के ऐसे जिवित सदस्य को दिये जायेगें जिसे स्थानिय जॉच के पश्चात परिवार का मुखिया निर्धारित किया गया हो योजना के प्रयोजन हेतु 'परिवार' शब्द से पति/पत्नी ,अव्यस्क बच्चे , अविवाहित पुत्रिया और आश्रित माता पिता अभिप्रेत होंगें । अविवाहित व्यस्क पुरुष /महिला के छोटे भाई – बहन भी परिवार में सम्मिलित माने जायेगें ।

#### देय अनुदान :-

दिनांक 1.8.1998 के पश्चात हुई किसी भी प्रकार की मृत्युकी दशा में 10 हजार रूप्ये की सहायता देय ।

#### आवेदक की प्रक्रिया

लाभार्थी को निर्धारित प्रपत्र में ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत /पंचायत समिति में तथा शहरी क्षेत्र में नगर पालिका में आवेदन पत्र करना होगा ।